वित्त निर्देश 16/2017

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 161 / F-2015-04-02007 / ब–4 / चार, नया रायपुर, दिनांक 02/05/2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय :– रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में ।

संदर्भ :–
1. वित्त विभाग का ज्ञाप क्रमांक 170/बी/चार, दिनांक 2.5.2014 (वित्त निर्देश 27/2014)
2. वित्त विभाग का ज्ञाप कमांक 202/ब–4/चार, दिनांक 8.5.2014 (वित्त निर्देश 29/2014)
3. वित्त विभाग का ज्ञाप कमांक 118/ब–4/चार, दिनांक 2.5.2015 (वित्त निर्देश 12/2015)
4. वित्त विभाग का ज्ञाप कमांक 99/F-2015-04-02007/ब–4/चार, दिनांक 2.5.2016 (वित्त निर्देश 10/2016)

----000----

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापनों द्वारा लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों एवं अनुकम्पा नियुक्ति के पदों को छोड़कर शेष सभी सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त करने के निर्देश जारी किये गये है।

2– राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि उक्त निर्देश आगामी एक वर्ष तक के लिए प्रभावशील रहेंगे। साथ ही ऐसी केन्द्रीय योजनाएं, जिनके अंतर्गत पद संरचना स्वीकृत है तथा जिन्हें केन्द्रीय बजट 2017–18 में समाप्त कर दिया गया हैं, उन योजनाओं में रिक्त पदों पर यदि वित्त विभाग द्वारा भर्ती की अनुमति पूर्व में दी गई है किन्तु अभी तक भर्ती नहीं की गई है, तो ऐसे रिक्त पदों को भरने की अनुमति पुनः वित्त विभाग से प्राप्त की जाए। ऐसे प्रस्तावों को वित्त विभाग में भेजते समय इन पदों की पूर्ति पर आने वाले वार्षिक वित्तीय भार तथा पदों की पूर्ति की आवश्यकता का औचित्य दर्शाया जाए।

3– विभागों में स्वीकृत सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति करते समय विभाग यह सुनिश्चित करे कि ऐसे पद जिनमें विभागीय प्रशिक्षण अनिवार्य हो, उन प्रकरणों में भरे जाने वाले पदों की संख्या राज्य में उपलब्ध प्रशिक्षण क्षमता के अनुरूप ही हो।

4– यह निर्देश राज्य के शासकीय कार्यालयों के साथ–साथ सभी निगम / मंडल / आयोग / प्राधिकरण / विश्वविद्यालय /अनुदान प्राप्त–स्वशासी संस्थाओं आदि के लिए भी लागू होंगे ।

5– यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2/5/17

(सतीश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव

पृष्ठां. क्रमांक 162/ F-2015-04-02007/ब–4/चार, नया रायपुर, दिनांक 02/05/2017

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, महानदी भवन, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल / महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग / मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव / निज सहायक, मंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. प्रधान महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, इन्द्रावती खण्ड, पुराना मंत्रालय, परिसर, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
14. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. छत्तीसगढ़ रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला / इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर / बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, नया रायपुर

– को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु

20. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग